

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :— प.३(१)साप्र / २ / २०११

जयपुर, दिनांक 20 APR 2011

—: आदेश :—

श्री दिनेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर जिनकी तृतीय श्रेणी की वरियता संख्या 27/2011 तथा सेवानिवृत्ति दिनांक 31.8.2036 है के आधार पर उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 27 में शिथिलन प्रदान करते हुए “आउट ऑफ टर्न” के आधार पर राजकीय आवास संख्या ई-745 (रिक्त होने की प्रत्याशा में) गांधीनगर, जयपुर का नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटन किया जाता है :-

शर्तेः—

- आवास का कब्जा आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
 - उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
 - सेवानिवृति दिनांक से दो माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 - जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
 - स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
 - चूंकि उक्त अधिकारी को राजकीय आवास का रिक्त होने की प्रत्याशा में आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में आवंटन स्वीकार करने में असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञय हो तो रोक दिया जायेगा।
 - सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— कृपया आवंटी के द्वारा आवास का आवास के रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
 - आवंटी को आवंटित राजकीय आवास संख्या का कब्जा लेने से पूर्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता/आवासीय अभियन्ता को यह धोषणा करनी होगी:—
 - आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्ज लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 - आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित नहीं किया गया है।
 - उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

आज्ञा से

8

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
 - सभागीय आयुक्त, जयपुर।
 - जिला कलक्टर, जयपुर।
 - विशेषाधिकारी, कार्मिक (क-1/4) विभाग।
 - उप सचिव (वी.पी.) मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी टीप संख्या मु.म.-उ.स.(वी.पी.)/प-2(साप्रवि)/(जय)/11/26448 दिनांक 7.4.2011 एवं डायरी संख्या एन 11000779 दिनांक 19.4.2011 के क्रम में।
 - निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
 - मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
 - प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल योजना भवन, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट पर अपडेट कराने का श्रम करावें।
 - मुख्य लेखाधिकारी / कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
 - अधिशाषी अभियन्ता, साठनिविठ०/जन रवा०अभिविठ०/जयपुर विठ०विठ०निगम लिठ०, गांधीनगर जयपुर।
 - संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटोती की कार्यवाही को सुनिश्चित करायें साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अविधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त संख्या-6 की पालना को भी अमल में लावें।
 - श्री दिनेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस. विशेषाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय, जयपुर।
 - निदेशक, उद्यान विज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
 - सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (चौकी), गांधीनगर, जयपुर।
 - शासन सहायक सचिव (नोडल अधिकारी) सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग।
 - निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव, साप्रवि।
 - रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव